

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

183

पत्रांक - प्र02/ बि०स्टे०पा०जे०क०लि०-51/2013

पटना, दिनांक -

प्रेषक:

प्रत्यय अमृत,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1592.42 करोड़ रुपये के विरुद्ध इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1385 दिनांक- 02.05.2016 के आलोक में बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2×250 मेगावाट के निर्माण की योजना हेतु स्वीकृत अनुमानित लागत 3133.169 करोड़ रुपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1592.42 करोड़ रुपये के विरुद्ध इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से हिस्सा पूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष- 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 - उपशीर्ष-0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड-P4801021900102 विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
9150000000.00	0.00	3000000000.00	3000000000.00	6150000000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

कृ०पृ०उ०

1182

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता(पी० एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0045- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष एल० 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ-के०-8448001200045 में जमा की जाएगी।
7. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA273 से की जाएगी।

विश्वासभाजन, (

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०जे०क०लि०-51/2013

दिनांक

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०जे०क०लि०-51/2013 35

दिनांक 05/05/2016

प्रतिलिपि उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (कीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग

7